प्रेस विज्ञप्ति

आज चेम्बर सभागार में चेम्बर महासचिव प्रदीप जैन की अध्यक्षता में **'EMPOWERING SMALL & MEDIUM BUSINESS ENTERPRISES'** विषय पर एक कार्यशाला सम्पन्न की गई। इस कार्यशाला में लघु एवं मध्यम व्यवसाय से सम्बन्धित विभिन्न समस्याओं एवं उनके निदान पर शहर के प्रसिद्ध सीएगण एवं अधिवक्ता के द्वारा निराकरण कराया गया। कार्यशाला में काफी संख्या में उपस्थित व्यवसायियों, उद्यमियों, प्रोफेशनल एवं विद्यार्थियों ने अपनी समस्याओं को रखा जिसका निराकरण विशेषज्ञों के द्वारा कराया गया।

सीए आर.के. कौशल ने कार्यशाला के माध्यम से बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों को व्यवसाय के फॉर्मेट के चयन की प्रक्रिया के बारे में सविस्तार बताया। उन्होंने व्यवसाय चयन करते समय पार्टनरशीप, प्रोपराईटरशीप, लिमिटेड लाईबिलीटी पार्टनरशीप, प्राईवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड, ट्रस्ट, सोसाईटी, एच.यू.एफ एवं इत्यादि फॉर्मेट के लाभ तथा नुकसान से अवगत कराया।

सीए कौशिक अग्रवाल ने व्यवसाय को सही दशा एवं दिशा प्रदान करने के संदर्भ में व्यवसायियों से उनके बही खाता का विश्लेषण करने की तकनीक पर प्रकाश डाला। साथ ही उन्होंने कैश फ्लो स्टेटमेन्ट, फण्ड फ्लो स्टेटमेन्ट, नेट प्रोफिट रेसियो एवं करेन्ट रेसियों इत्यादि से व्यवसाय के स्वास्थ्य को जॉच करने की तकनीक बताई।

अधिवक्ता सुमित गाडोदिया ने दुकान/प्रतिष्ठान एवं श्रम कानूनों की जानकारी सभा को दी। श्रम कानूनों की प्रक्रिया में उन्होंने जानकारी दी कि कानून के तहत सभी व्यवसायियों को उनके प्रतिष्ठान में साप्ताहिक अवकाश की सूचि, कर्मचारियों को सर्विस कार्ड मुहैया कराने, प्रोविडेन्ड फण्ड स्कीम लागू करने, कर्मचारियों को वार्षिक गेज्यूटी राशि प्रदान करने एवं दुकान/प्रतिष्ठान को रजिस्ट्रेशन की जानकारी दी तथा इसपर पहल करने की अपील की।

सीए नवीन डोकानिया ने सर्विस टैक्स के मुद्दे पर प्रकाश डालते हुए सदस्यों को अवगत कराया कि 1 जुलाई 2012 से सिर्फ 119 सेवाओं को छोडकर बाकी सभी सेवा सर्विस टैक्स के दायरे में आती है। सेवा कर का दायरा बहुत बडा है। जानकारी के अभाव में पूरा का पूरा व्यवसाय नुकसान में आ सकता है।

सीए जे.पी. शर्मा ने बताया कि बैंक लोन देने के पहले आपके दस्तावेजों का किस प्रकार विश्लेषण करता है एवं आपके द्वारा मोटगेज की गई सम्पत्तियों का आकलन किस प्रकार करता है। आसान शर्तों एवं कम से कम ब्याज पर कैसे लोन प्राप्त किया जा सकता है, इसपर उन्होंने विस्तार से बताया।

ओरियेन्टल इन्श्योरेन्स के मंडल प्रबंधक आलोक सिंह ने बीमा योजनाओं के माध्यम से व्यवसाय के जोखिम का कैसे प्रबंधन कर सकते हैं, विषय पर बतलाते हुए विभिन्न बीमा योजनाओं की जानकारी दी।

सीए साकेत मोदी ने वाणिज्यकर सम्बन्धित मुद्दों पर जानकारी के क्रम में सदस्यों को ई–फाईलिंग, ई–पेमेन्ट, निबंधन, कम्पलायन्स, पेनाल्टी, सेल्फ एसेस्मेन्ट, सीएसटी के प्रावधान एवं ऑडिट एसेस्मेन्ट के प्रावधानों की जानकारी दी एवं इन्हें सरल रूप में करने के उपाय भी बताये।

वाणिज्यकर उप समिति चेयरमेन दीनदयाल वर्णवाल ने प्रोफेशनल टैक्स के प्रावधानों को बतलाया।

धन्यवाद ज्ञापन देते हुए पूर्व अध्यक्ष अर्जुन जालान ने कहा कि व्यवसायियों को कानून की पूरी जानकारी रखनी चाहिए जिससे कि वे अपने स्वाभिमान की रक्षा करते हुए भयादोहन से बच सकें।

कार्यशाला में चेम्बर के कार्यकारिणी सदस्य प्रेम कटारूका, सदस्य कमल सिंघानिया, महेन्द्र जैन, शशांक भारद्वाज, राम बांगड सहित काफी संख्या में चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, प्रोफेशनल, व्यवसायी, उद्यमी एवं विद्यार्थी उपस्थित थे।

प्रदीप कुमार जैन
महासचिव

———————————————————————————————————

पत्रांकःएफ.जे.सी.सी.आई/2012.13 दिनांकः 25.11.2012

सभी प्रेस को प्रकाशनार्थ प्रेषित।